संख्या- 18/ 2015/ वै0आ0-2-256/ दस-62(एम)/ 2008 टी0सी0

प्रेषक,
राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

विषय (वेतन आयोग) अनुभाग-2
लखनऊ: दिनांक: 10 अप्रैल, 2015

विषय:- ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरीकरण की अनुमति के कारण संबंधित में वेतनों का कमान करने को निर्देश हुआ है।

महोदय,

उपयुक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन के संबंध में आया है कि शासनादेश संख्या-वै0आ0-2-561/ दस-62(एम)/ 2008 दिनांक 04 मई 2010 तथा इस क्रम में निर्गत अन्य शासनादेशों, जिसकी व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित को लाभ स्वीकृत करने में आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु पूर्व निर्गत शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए शासनादेश संख्या-वै0आ0-2-773/ दस-62(एम)/ 2008 दिनांक 05 नवम्बर 2014 निर्गत किया गया है द्वारा दिनांक 01 दिसंबर 2008 से लागू की गयी ए0सी0पी0 की सामान्य व्यवस्था की जुड़ती-पृष्ठ क्षेत्र में व्यवस्था करते हुए अभिवतन्त्र संरचन के सहायक अभियंता/ अधिरासी अभियंता पद के ऐसे योग्य, जिन्हें समयमान वेतनमान की दिनांक 30 नवम्बर 2008 तक लागू, रही व्यवस्था में क्रमशः 18/16 वर्ष की सेवा पर वेतनमान 3700-5000/ 12000-16500/ समकालीन ग्रेड वेतन 7600 वैयक्तिक रूप से स्वीकृत किया गया था, द्वारा अधीक्षण अभियंता के पद का ग्रेड वेतन 8700 में स्थापित होने के आधार पर समयमान वेतनमान में प्राप्त हो रहे वैयक्तिक ग्रेड वेतन 7600 को ग्रेड वेतन 8700 के स्तर पर उच्चीकृत किये जाने की मांग की जा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणित का वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से स्वयंपीड़ित की जा सकती है।
रही है, जिससे इस प्रकार के प्रकरण के निर्देशण में कठिनाई आ रही है और इस सम्बन्ध में स्पष्टकरण निर्देश किये जाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है।

2- उपर्युक्त क्रम में राज्य में दिनांक 30 नवम्बर 2008 तक लागू रहे समयमान वेतनमान एवं दिनांक 01 दिसंबर 2008 से लागू की गयी ए0सी0पी0 की व्यवस्थाओं में उच्च वैयक्तिक वेतनमान/वित्तीय स्तरोत्तरण की देयता हेतु निम्नानुसार स्थिति स्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) शासनादेश संख्या-वे0आ0:-2-773/दस-62(एम)/ 2008 दिनांक 05 नवम्बर 2014 द्वारा दिनांक 01 दिसंबर 2008 से लागू की गयी ए0सी0पी0 की व्यवस्था के पूर्व राज्य में विभिन्न श्रेणी के कार्यकर्ताओं के लिये समयमान वेतनमान की निम्नवर्त व्यवस्थायें लागू रही हैं :-

(क) ऐसे पद जिनके वेतनमानों का अधिकतम रु0 3500 (पुनरीक्षित वेतनमानों में रु0 10500 तक जिसे पुनः संशोधित कर रु0 13500 से कम किया गया) था, उनके लिये अन्य के साथ 14 एवं 24 वर्ष की सेवा पर दो पदोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमति किये जाने का प्रावधान किया गया था।

(ख) ऐसे पद जिनमें प्रवेश रु0 2200-4000 (पुनरीक्षित वेतनमान रु0 8000-13500) या इससे उच्च वेतनमान में होता है, उनमें से कतिपय विशेष संरचना में पी0सी0एस0, पी0एस0एस0, न्यायिक एवं अधियन्त्रण संरचना के पदों को छोड़कर अन्य के लिये विभिन्न विभाग के अंद्रेशास्कीय पत्र दिनांक 27 जुलाई 1992 द्वारा 08 वर्ष की निर्धारित संस्थापन सेवा पर रु0 3000-4500 (पुनरीक्षित वेतनमान रु0 10000-15200) का वैयक्तिक वेतनमान, रु0 3000-4500 के पदों के 20 प्रतिशत पदों पर 14 वर्ष की सेवा पर रु0 3700-5000 (पुनरीक्षित वेतनमान रु0 12000-16500)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।
का वैयक्तिक वेतनमान, ₹0 3000-4500 के पदधारकों को
दिये जाने एवं ₹0 3000-4500 एवं ₹0 3700-5000 के
पदों के 15 प्रतिशत पदों पर ₹0 4500-5700 (पुनरीक्षित
वेतनमान ₹0 14300-18300) का वैयक्तिक वेतनमान तीसरे
लाभ के रूप में ऐसे पदधारकों को दिये जाने का प्रावधान
किया गया था जो ₹0 3700-5000 का पद धारित करते
हैं तथा इनकी संख्या ₹0 3700-5000 के पदों की संख्या
तक सीमित रहेगी। इस प्रकार उपर्युक्त व्यवस्था में
निर्धारित समयावधि पर 03 ऊपर विनियत वेतनमान दिये
जाने का प्रावधान था।

(ग) अभियन्त्रण विभागों के अभियन्त्रण संवर्ग के पदों के लिये
वित्त विभाग के अर्थशासकीय पत्र दिनांक 02 जनवरी 1990
dराया 05 वर्ष की लियमित संतोषजनक सेवा पर सहायक
अभियन्त्रा के पद धारकों को प्रथम लाभ के रूप में ₹0 3000-4500 (पुनरीक्षित वेतनमान ₹0 10000-15200)
का वैयक्तिक वेतनमान, 18 वर्ष की लियमित संतोषजनक सेवा
पर सहायक अभियन्त्रा के पद धारकों को द्वितीय लाभ के
रूप में ₹0 3700-5000 (पुनरीक्षित वेतनमान ₹0 12000-
16500) का वैयक्तिक वेतनमान तथा ऐसे सहायक
अभियन्त्रा जो अधिशासी अभियन्त्रा पद पर पदोन्नत हो
गये उन्हें 16 वर्ष की लियमित संतोषजनक सेवा पर द्वितीय
लाभ के रूप में ₹0 3700-5000 का वैयक्तिक वेतनमान
dिये जाने का प्रावधान किया गया था। उक के अतिरिक्त
tीसरे लाभ के रूप में 14 वर्ष की सेवा पर ₹0 4500-
5700 (पुनरीक्षित वेतनमान ₹0 14300-18300) का
सेलेक्शन ग्रेड अधिशासी अभियन्त्रा एवं इससे ऊपर के कुल
pदों की संख्या के 15 प्रतिशत परन्तु संवर्ग में अधीक्षण
अभियन्त्रा पदों की सीमा तक देय था। इस प्रकार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणित वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।
अभियन्त्रण संवर्ग के लिये उपरोक्तानुसार की गयी व्यवस्था में निर्धारित समयावधि पर पदोन्नतीय पद के वेतनमान के स्थान पर 03 ऊंच चिन्हित वेतनमान दिये जाने का प्रावधान था। इसी प्रकार की व्यवस्था पी0सी0एस0 एवं पी0एम0एस0 संवर्ग आदि के लिये भी की गयी थी।

(2) उपरोक्त से स्पष्ट है कि विभाग के अभियन्त्रण संवर्ग में सहायक अभियंता के पद से आगे पदोन्नति हेतु उपलब्ध पदों के ढांचे में रू 3000-4500/ रू 10000-15200, रू 3700-5000/ रू 12000-16500,रू 5100-6150/ रू 16400-20000 एवं रू 5900-6700/ रू 18400-22400 के पद हैं। जबकि दिनांक 30 नवंबर 2008 तक लागू रही समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत रू 3000-4500/ रू 10000-15200, रू 3700-5000/ रू 12000-16500, रू 4500-5700/ रू 14300-18300 के चिन्हित वैधिक वेतनमान ही देय होते हैं, जबकि अभियन्त्रण संवर्ग के पदों की श्रृंखला में रू 3700-5000 के वेतनमान से ऊपर रू 5100-6150 के वेतनमान का पद उपलब्ध था। जिससे स्पष्ट है कि अभियन्त्रण संवर्ग में समयमान वेतनमान की व्यवस्था में पदोन्नति के पद का वेतनमान देय नहीं था, अपितु चिन्हित वेतनमान ही देय थे। यदि अभियन्त्रण संवर्ग में पदोन्नतीय पद का वेतनमान दिये जाने का प्रावधान किया जाता तो समयमान वेतनमान की व्यवस्था में रू 4500-5700/ रू 14300-18300 का वेतनमान स्वीकृत होने की स्थिति न बनती, अपितु पदोन्नति की श्रृंखला में उपलब्ध अगला वेतनमान रू 5100-6150/ रू 16400-20000 देय बनता।

(3) शासनादेश दिनांक 04 मई 2010 के प्रस्तार-2 (4) जिसे अक्रमित किया जा चुका है एवं उपयुक्त शासनादेश संख्या-वेब0आ0-2-773/दस-62(एम)/ 2008 दिनांक 05 नवंबर 2014 के प्रस्तार-3 (6) में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे मामलों में जहां किसी कारणवश प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्त साहस वेतन बैण्ड एवं
ग्रेड वेतन में परिवर्तन होता है तो समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अधीन अनुमन्य हो चुके प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान भी तदनुसार परिवर्तित हो जायेगा अर्थात् उस परिवर्तन के फलस्वरूप यदि प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान उच्चीकृत होता है तो ऐसे उच्चीकरण की तिथि से उच्च प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के साहस्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान निम्नीकृत होने की दशा में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के साहस्य वेतन बैंड/ग्रेड वेतन यथावत् बना रहेगा।

(4) उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 05 नवम्बर 2014 के प्रस्तार-3 (6) की व्यवस्था ऐसे मामलों के लिये प्रभावी है जहां समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था में प्रोन्नतीय पद का वेतनमान वैधिक रूप से अनुमन्य हुआ है और प्रोन्नतीय पद का वेतनमान उच्चीकृत किया गया है। अभियंत्रण सेवा में सहायक अभियंता/अधिशासी अभियंता को उपरोक्तनुसार उल्लिखित विवरण के अनुसार निर्धारित सेवा अवधि पर ₹0 3700-5000/ ₹0 12000-16500 का चिन्हित वेतनमान वैधिक रूप से स्वीकृत किया गया था। यह वेतनमान पदोन्नति के पद का वेतनमान होने के आधार पर देय नहीं था, अतः अधीक्षण अभियंता के पद का ग्रेड वेतन ₹0 8700 के श्तर पर उच्चीकृत किये जाने के बावजूद सहायक अभियंता/अधिशासी अभियंता को स्वीकृत हुए वैधिक वेतनमान ₹0 3700-5000/ ₹0 12000-16500/ समकक्ष ग्रेड वेतन ₹0 7600 का प्रकरण उपर्युक्त उपप्रस्तार-4 की व्यवस्था से आच्छादित नहीं होता है। इस प्रकार अधीक्षण अभियंता के पद का ग्रेड वेतन उच्चीकृत होने के आधार पर ₹0 3700-5000/ ₹0 12000-16500/ समकक्ष ग्रेड वेतन ₹0 7600 का वैधिक वेतनमान प्राप्त कर चुके सहायक/अधिशासी अभियंताओं को ग्रेड वेतन ₹0 8700 की देयता नहीं बनती है।

उपर्युक्त के दशिनत पुन: स्पष्ट किया जाता है कि वेतनमान ₹0 2200-4000/ ₹0 8000-13500 या इससे उच्च वेतनमान में सेवा में
प्रवेश करने वाले कार्मिक, जिसमें अभियन्त्रण सेवा के सहायक/अधिशासी अभियंत्रा पद्धारक भी सम्मिलित हैं, उपरुपक शासनादेश दिनांक 05 नवम्बर 2014 के प्रस्तर-3 (6) की व्यवस्था से आच्छादित नहीं हैं और उक्त कार्मिक शासनादेश दिनांक 04 मई 2010 जिसे अवक्रमित किया जा चुका है, के प्रस्तर-2(4) की व्यवस्था से भी आच्छादित नहीं थे।

भवदीय,

राहुल भट्टनागर

प्रमुख सचिव।

संख्या- 18/ 2015/ वेब0आ0-2-256(1)/ दस-62(एम)/ 2008 टी0सी0 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :---

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदार। एवं || तथा आडिट । एवं ||, 30प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
4. महालेखालय, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5. निदेशक, सूचना एवं जन समपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, अधिशासन पुनरीक्षण व्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. 30प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग/ इलाका चेक अनुभाग।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।
10. गार्ड फाइल।

आजा से,

मनोज कुमार जोशी

विशेष सचिव।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।